न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी श्री करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

विविध प्रार्थना–पत्र संख्या 2013/00107 (02/2013)

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर हनुमानगढ **––प्रार्थी**

बनाम

प्रेम पुत्र स्व0 गोरधन जाति दरोगा निवासी रावतसर जिला हनुमानगढ।

–अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 व 9 (11) सीपीसी
विरूद्ध निर्णय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ अपील संख्या 29/2009/75 अनवान राजस्थान राज्य बनाम गोरधन निर्णय दिनाक 16.08.2012

श्री राजेश कौशिक राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से

श्री लालचन्द वम्र अभिभाषक अप्रार्थी की ओर से

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

निर्णय दिनांक 15.07.21

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर रावतसर के प्रकरण संख्या 5/04 अनवान स्मॉल पेच में आवंटन प्रार्थना–पत्र पत्र गोरधन पुत्र भूराराम को आदेश दिनांक 03.08.2004 द्वारा चक 24 डी.डब्ल्यूडी प. नं. 159/415 किला नं. 17 की .038 है0 भूमि बाजार भाव से 4 गुणा की दर से आवंटन आवंटित की गई, जिसके विरूद्ध अपील संख्या 29/2009 पेश हुई। जो एक मृत व्यक्ति के विरूद्ध अपील मानते हुए दिनांक 16.08.2012 को अबैट की गई। निर्णय के उपरान्त प्रार्थी ने आदेश 22 नियम 4 व 9 (11) सीपीसी का प्रार्थना–पत्र पेश किया।
2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि अपील में स्टेट का राज्यहित है इसलिए राज्यहित को ध्यान में रखते हुए अपील का गुणावगुण पर निर्णय किया जाना आवश्यक है ता[illegible] प्रकार से राजकीय हित का नुकसान नही हो। का[illegible] व्यवहार [illegible] पर रेस्पोडेण्ट के वारिसान की सूची प्राप्त हुई है इसलिए अपील अबेटमेंट निरस्त कर रेस्पोडेण्[illegible] वारिसान को फरीक बनाया जाकर पत्रावली का गुणागुवण पर निर्णय किया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.13 12:32:23 IST
Reason: SelfAttested

4. विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन कियाकि प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र अपील खारिज होने के बाद पेश किया है। मृतक रेस्पोडेण्ट के वारिसान को प्रतिस्थापित करने का प्रार्थना–पत्र अपील के विचाराधीन रहते ही प्रस्तुत हो सकता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दिनांक 05.04.2013 के दिवस पर अपील विचाराधीन एवं अस्तित्व में नही होने से यह प्रार्थना–पत्र चलने योग्य नहीं था ना ही दर्ज होने योग्य था। अपील दिनांक 09.06.2009 को प्रस्तुत की गई थी तथा इस अपील में एक मात्र रेस्पोडेण्ट ही था जो अपील प्रस्तुत होने से पूर्व ही दिनांक 31.07.2008 को फौत हो चुका था व इस प्रकार यह अपील मृत रेस्पोडेण्ट के विरूद्ध प्रस्तुत होने से अकृत (**Nullity**) थी। इस अपील के सम्मन जारी होने पर अप्रार्थी प्रेमसिंह ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर दिनांक 04.01.2010 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर रेस्पो0 स्व0 गोरधन की मृत्यु होने जाने की सूचना दी। <u>प्रार्थी/अपीलाण्ट</u> ने इस सूचना के बावजूद अपनी अपील में संशोधन नहीं करवाया व ना ही मृतक रेस्पोडेण्ट के स्थान पर वारिसान को पक्षकार बनाया व ना ही प्रतिस्थापन हेतु प्रार्थना–पत्र अन्दर मियाद प्रस्तुत किया। जबकि यह अपील न केवल अकृत थी अपितु दिनांक 04.01.2010 को स्व0 गोरधन की मृत्यु हो जाने की सूचना प्राप्त होने के दिवस से भी 150 दिन तक <u>प्रार्थी/अपीलाण्ट</u> ने स्व0 गोरधन के वारिसान को प्रतिस्थापित किये जाने का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नही किया तथा उपशमन को अपास्त करने की समयावधि 5 माह अर्थात 150 दिन बाद दिनांक 03.06.2010 को समाप्त हो चुकी तथा यह अपील के उपशमन को अपास्त किये जाने की मियाद गुजरने के बाद यह अपील स्वतः ही अबैट हो चुकी थी ताहम भी माननीय न्यायालय ने दिनांक 03.06.2010 के बाद लगभग 2 वर्ष 2 माह बाद दिनांक 16.08.2012 को एक आदेश के जरिये यह अपील खारिज फरमाई गइई इस अपील के खारिज होने के लगभग 8 माह बाद दिनांक 05.04.2013 को यह प्रार्थना–पत्र पेश किया है। विलम्ब को क्षमा करने का कोई समुचित कारण नहीं बताया है। राज्य पक्ष भी एक सामान्य व्यक्ति है तथा एक मृतक व्यक्ति के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को खारिज फरमाई जा चुकी है को इस प्रार्थना–पत्र के जरिये ना तो रेस्टोर करवाने का अधिकारी है [illegible] मृत[illegible] के विरूद्ध प्रस्तुत अकृत अपील में उसके वारिसान को प[illegible] है। अतः प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावे। वि[illegible] के समर्थन में सीसीसी 2017 (2) पेज 135, सीसीसी 2017 (1) [illegible] 647, सीसीसी 2001 (2) पेज 9,

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.13 12:32:23 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

एआईआर 2010 (एनओसी) पेज 111, एआईआर 2010 एससी पेज 3043 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. इस न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर रावतसर के प्रकरण संख्या 5/04 अनवान स्मॉल पेच में आवंटन प्रार्थना–पत्र पत्र गोरधन पुत्र भूराराम को आदेश दिनांक 03.08.2004 के विरूद्ध अपील पेश हुई जिसे एक मृत व्यक्ति के विरूद्ध अपील मानते हुए दिनांक 16.08.2012 को अबैट की गई। अपील न केवल अकृत थी अपितु स्व0 गोरधन की मृत्यु हो जाने की सूचना प्राप्त होने के दिवस से भी 150 दिन उसके वारिसान को प्रतिस्थापित किये जाने का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नही किया तथा उपशमन को अपास्त करने की समयावधि समाप्त हो चुकी तथा यह अपील स्वतः ही अबैट हो चुकी थी। निर्णय के उपरान्त प्रार्थी ने आदेश 22 नियम 4 व 9 (11) सीपीसी का प्रार्थना–पत्र पेश किया। प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र अपील खारिज होने के बाद पेश किया है। मृतक रेस्पोडेण्ट के वारिसान को प्रतिस्थापित करने का प्रार्थना–पत्र अपील के विचाराधीन रहते ही प्रस्तुत हो सकता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दिनांक 05.04.2013 के दिवस पर अपील विचाराधीन एवं अस्तित्व में नही होने से यह प्रार्थना–पत्र चलने योग्य नहीं है। इस प्रार्थना–पत्र के जरिये प्रार्थी अपील रेस्टोर करवाने का अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थना–पत्र आदेश आदेश 22 नियम 4 व 9 (11) सीपीसी खारिज किया जाता है। प्रार्थना–पत्र निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

8. निर्णय आज दिनांक 15.07.21 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

15/7/21

(करतारसिंह पूनियां)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.13 12:32:23 IST
Reason: SelfAttested